भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3338
दिनांक 20 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

केंद्र सरकार की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए एकीकृत केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली

3338. डा॰ अजित माधवराव गोपछड़े :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि संसाधन विभाग ने ऐसे किसी अभ्यावेदन का संज्ञान लिया है जिसमें सभी राज्यों में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली भूमि, चाहे ऐसी भूमि का प्रशासनिक नियंत्रण किसी के पास भी हो, पर अतिक्रमणों की पहचान करने, निगरानी रखने तथा उन्हें हटाने के लिए एक एकीकृत केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली स्थापित करने की मांग की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में केंद्र सरकार की संपत्तियों पर अतिक्रमण किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के समन्वय से ऐसे अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(**क**) भूमि और विकास कार्यालय (एलएंडडीओ), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के तहत सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (जीएलआईएस) में केंद्र सरकार की भूमि की जीआईएस-आधारित सूची का रखरखाव किया जाता है, लेकिन वर्तमान में इसमें अतिक्रमणों से संबंधित डाटा शामिल नहीं है।

(**ख**) **और (ग)** भूमि संसाधन विभाग, राज्यों में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पर अतिक्रमणों से संबंधित डाटा नहीं रखता है। दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा प्रशासित पट्टे पर दी गई भूमि पर अतिक्रमणों के संबंध में, उनके द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, अन्य राज्यों में भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) के अधिकार-क्षेत्र में केंद्र सरकार के विशिष्ट खाली भू-खंडों पर अतिक्रमणों के मामलों में, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

*****